[2018] 5 एससीआर 671

तुलाराम
बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2018 की आपराधिक अपील संख्या 663) 02 मई, 2018
[मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता, जेजे]

दंड संहिता, 1860 - धारा 300 और धारा 304 भाग 1 के अपवाद 4 - 'Rh' और 'Ru' के बीच झगड़ा झगड़े में बढ़ गया और जल्द ही वे कुछ अन्य व्यक्तियों में शामिल हो गए - विवाद बाद में हिंसक हो गया और अपीलकर्ता, 'Ru' के चाचा ने 'Rh' के भाई को अपनी छाती के बाईं ओर बल्लम (भाला) से छेद दिया और Rh को भी घायल कर दिया - Rh के भाई को घर ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया - क्या अपीलकर्ता का इरादा उसकी मौत का कारण बनना था। Rh का भाई - कहा गया: नहीं - इस मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि आईपीसी की धारा 4 से धारा 300 के सभी तत्व मौजूद थे - लड़ाई अचानक थी और पूर्व नियोजित नहीं थी (नीचे दोनों न्यायालयों का निष्कर्ष) और अपीलकर्ता को किसी अन्य गंभीर चोट पहुंचाने के अर्थ में बल्लम (भाला) ले जाने का अनुचित लाभ नहीं मिला। Rh के एक आरोप को छोड़कर - यह स्थिति होने के नाते, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता का इरादा Rh के भाई की हत्या करने या उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो - किसी भी गवाह ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि अपीलकर्ता का इरादा Rh के भाई की मौत का कारण बनना था - विवाद के दौरान अपीलकर्ता ने Rh के भाई की छाती को छेद दिया था, लेकिन उसे मारने का इरादा क्या है? स्पष्ट नहीं है - हालांकि, अपीलकर्ता को इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि छाती के बाईं ओर बल्लम (भाला) से छेदने से शारीरिक चोट लग सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है - इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि धारा 302 के तहत रद्द कर दी जाती है - इसके बजाय, अपीलकर्ता को धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया गया है - अपीलकर्ता लगभग 14 वर्षों से सलाखों के पीछे है - उसकी सजा कैद की अवधि में बदल गई है जो वह पहले ही काट चुका है और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया - सजा /

671 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. वर्तमान मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के सभी तत्व मौजूद हैं। लड़ाई अचानक हुई थी और पूर्व नियोजित नहीं थी (यह दोनों अदालतों का निष्कर्ष है) और अपीलकर्ता को Rh को चोट पहुंचाने के अलावा किसी अन्य गंभीर चोट पहुंचाने के अर्थ में बल्लम (भाला) ले जाने का अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है। स्थिति होने के नाते, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता का इरादा Rh(बीएल) के भाई की हत्या करने या उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा के भाग-I में प्रावधान है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है तो सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर, धारा 304 आईपीसी के भाग 2 में प्रावधान है कि यदि अपमानजनक कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना जो मृत्यु का कारण बन सकती है, तो सजा 10 साल के कारावास तक बढ़ सकती है। [पैरा 11, 12] [675-एफ-एच; 676-ए-बी]

2. मृत्यु का कारण बनने के इरादे को आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने केवल इस तथ्य के आधार पर कि अपीलकर्ता ने 'बीएल' की छाती को बल्लम (भाला) से छेद दिया था, यह मान लिया है कि वह 'बीएल' की मौत का कारण बनना चाहता था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के इरादे का सुझाव देता हो और किसी भी गवाह ने 'बीएल' की मौत का कारण बनने के लिए अपीलकर्ता के इरादे का कोई संकेत नहीं दिया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विवाद के दौरान, अपीलकर्ता ने 'बीएल' की छाती को छेद दिया था, लेकिन उसे मारने का इरादा स्पष्ट नहीं है। हालांकि, अपीलकर्ता को इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि भाले के साथ छाती के बाईं ओर छेद करने से शारीरिक चोट लग सकती है जो मृत्यु का कारण बन सकती है। [पैरा 13] [676-सी-डी]

3. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए, आईपीसी की धारा 300 में बताई गई हत्या की सामग्री इस मामले में गायब है। अपीलकर्ता का इरादा 'बीएल' को शारीरिक चोट पहुंचाना था और भाले से 'बीएल' की छाती को छेदना ऐसी चोट थी जो संभवतः उसकी मौत का कारण बन सकती थी। यह ज्ञान तुलाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य को
अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है। अपीलकर्ता लगभग 14 वर्षों से सलाखों के पीछे है। उसकी सजा को उस कैद की अवधि में बदल दिया जाता है जो वह पहले ही काट चुका है। उसे तुरंत रिहा किया जाए। [पैरा 14, 15] [676-ई-जी]

सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2017) 5 एससीसी 796 पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस (2017) 5 एससीसी 796 पैरा 10

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2018 की आपराधिक अपील संख्या 663 पर निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 01.08.2013 के निर्णय और आदेश से, 2004 की अपील संख्या 935 में जबलपुर में प्रधान पीठ सुश्री महालक्ष्मी पावनी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री वनिता मेहता, टोमी चाको, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

अर्जुन गर्ग, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

अदालत का निर्णय

मदन बी. लोकुर, जे. 1 अनुमति मंजूर कर ली गई।

2. अपीलकर्ता तुलाराम पर 9 जून, 2002 को हुए विवाद के दौरान भदरी लोधी की हत्या करने का आरोप लगाया गया और दोषी ठहराया गया।

3. उस तारीख को रामनाथ और राजू के बीच शाम करीब 6 बजे रामनाथ की आटा चक्की में झगड़ा हो गया. इस झगड़े का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में शाम लगभग 7.30 बजे रामनाथ ने अपनी आटा चक्की बंद कर दी और घर लौट रहे थे, उन्हें राजू ने रोक लिया। दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बीच लाठी लेकर आए राजू के दादा बिपतलाल लोधी, रामनाथ के भतीजे संतू और रामनाथ के भाई भदरी लोधी भी उनके साथ शामिल हो गए। झगड़ा झगड़े में बदल गया और इन लोगों के साथ राजू के चाचा तुलाराम भी शामिल हो गए, जो बल्लम लेकर आए थे (यह एक लकड़ी या बांस की छड़ी है जिसमें भाला सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एससीआर है अंत में संलग्न)। एक अन्य व्यक्ति सखाराम (जो एक आरोपी भी है, लेकिन हमसे पहले नहीं) लाठी लेकर मैदान में शामिल हो गया। विवाद के दौरान जो हिंसक हो गया, तुलाराम ने भद्री लोधी को अपनी छाती के बाईं ओर बल्लेमोन से छेद दिया और वह गिर गया। इसके बाद भदरी लोधी को घर ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

4. झगड़े में शामिल कुछ अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं, जिनमें सखाराम भी शामिल था, जिस पर संतू पर लाठी चलाने का आरोप लगाया गया था।

5. विवाद और भदरी लोधी की मौत के परिणामस्वरूप हुए मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने रामनाथ (पीडब्ल्यू 1), मालतीबाई (पीडब्ल्यू -3), महासिंह (पीडब्ल्यू -5), शांता बाई (पीडब्ल्यू -7), सिंह सिंह गोंड (पीडब्ल्यू -8) जोगी लोधी पीडब्ल्यू -10) और होरी लाल (पीडब्ल्यू -11) सहित कई चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की। इनमें से प्रत्येक गवाह ने झगड़े और इस तथ्य की पुष्टि की कि तुलाराम ने भद्री लोधी को छाती के बाईं ओर बल्लम से छेद दिया था। डॉ. एस. एन. भास्कर (पीडब्ल्यू 17) द्वारा शव परीक्षण के बाद चोटों की पुष्टि की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी.32 है। यह एक मर्मज्ञ घाव को दर्शाता है जिसका

आकार बाएं 5 "इंटरकोस्टल स्पेस पर 3 "x 4" x 4" है, जो बाएं निप्पल के लिए औसत दर्जे का है।

6. इन व्यापक तथ्यों पर, जिनमें कोई विवाद नहीं है, तुलाराम को भदरी लोधी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था।

7. हमने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और हमारे सामने एकमात्र सीमित मुद्दा यह है कि क्या तुलाराम का इरादा भद्री लोधी की मौत का कारण बनना था।

8. आईपीसी की धारा 299 गैर-इरादतन हत्या को मौत के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से की गई मौत के रूप में बताती है, जिससे मौत होने की संभावना है, या इस जानकारी के साथ कि शिकायत किए गए कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है। पहली दो श्रेणियों में मृत्यु का कारण बनने के इरादे या मृत्यु का कारण बनने की संभावना की आवश्यकता होती है, जबकि तीसरी श्रेणी खुद को इस ज्ञान तक सीमित रखती है कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है, वह मृत्यु का कारण बन सकता है। इस मामले के तथ्यों पर, गैर-इरादतन हत्या का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है।

9. आईपीसी की धारा 300 बताती है कि हत्या क्या है और यह प्रावधान करता है कि गैर-इरादतन हत्या है यदि जिस कार्य से मृत्यु हुई है वह मौत का कारण बनने के इरादे से किया गया है या शिकायत की गई कार्य इतनी खतरनाक है कि यह पूरी संभावना में मौत या "ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। कुछ अपवाद हैं तुलाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य

[मदन बी लोकुर, जे।

जब गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है और हम अपवाद 4 से चिंतित हैं जिसमें लिखा है: "अपवाद 4 - गैर इरादतन हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में बिना सोचे-समझे किया जाता है और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है।

स्पष्टीकरण- ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्ष उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।
10. हाल ही में सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में यह देखा गया कि:"अपवाद 4 की सहायता का उपयोग तब किया जा सकता है जब मृत्यु (ए) बिना किसी पूर्वधारणा के, (बी) अचानक लड़ाई में, (सी) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना हुई हो, और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। अपवाद 4 के भीतर एक मामला लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी सामग्री मिलनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" आईपीसी में परिभाषित नहीं है

IPC..... एक लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है चाहे हथियारों के साथ या बिना। किसी भी सामान्य नियम को प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा।यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।
अपवाद 4 के लागू होने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी, यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है।
प्रावधान में प्रयुक्त "अनुचित लाभ" शब्द का अर्थ है "अनुचित लाभ"

11. वर्तमान मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के सभी तत्व मौजूद हैं। लड़ाई अचानक हुई थी और पूर्व नियोजित नहीं थी (यह दोनों अदालतों का निष्कर्ष है) और तुलाराम ने रामनाथ को चोट पहुंचाने के अलावा किसी अन्य गंभीर चोट के अर्थ में बल्लम ले जाने का अनुचित लाभ नहीं उठाया। इस स्थिति को देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि तुलाराम का इरादा भद्री लोधी की हत्या करने या उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जिससे मौत होने की संभावना हो।
(2017) 5 एससीसी 796

12. आईपीसी की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान है. इस धारा के भाग-I में प्रावधान है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है तो सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर, धारा 304 के भाग II में प्रावधान है कि यदि अपमानजनक कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना जो मृत्यु का कारण बन सकती है, तो सजा 10 साल के कारावास तक बढ़ सकती है।

13. मृत्यु का कारण बनने के इरादे का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें डर है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस तथ्य के आधार पर कि तुलाराम ने भद्री लोधी की छाती को अबल्लम से छेद दिया था, यह मान लिया है कि वह भद्री लोधी की मौत का कारण बनना चाहता था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के इरादे का सुझाव देता हो और किसी भी गवाह ने भद्री लोधी की मौत का कारण बनने के तुलाराम के इरादे का कोई संकेत नहीं दिया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विवाद के दौरान तुलाराम ने भद्री लोधी की छाती में छेद किया था, लेकिन उसे मारने का इरादा स्पष्ट नहीं है। हालांकि, तुलाराम को इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि भाले के साथ छाती के बाईं ओर छेदने से शारीरिक चोट लग सकती है जो मृत्यु का कारण बन सकती है।

14. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि आईपीसी की धारा 300 में बताए गए हत्या के तत्व इस मामले में गायब हैं। तुलाराम का इरादा भदरी लोधी को शारीरिक चोट पहुंचाना था और भाले से भदरी लोधी की छाती को छेदना ऐसी चोट थी जो संभवतः उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इस ज्ञान के लिए तुलाराम को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

15. इन परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तुलाराम की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है। अपीलकर्ता लगभग 14 वर्षों से सलाखों के पीछे है। उसकी सजा को उस कैद की अवधि में बदल दिया जाता है जो वह पहले ही काट चुका है। उसे तुरंत रिहा किया जाए।

16. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।